बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— खरीफ विपणन मौसम 2018—19 के अन्तर्गत राज्य में धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह नवम्बर, 2018 से माह जुलाई, 2019) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पाँच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

खरीफ विपणन मौसम 2018—19 अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा धान अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा सीधे किसानो से धान का क्रय किया जाना है एवं अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र से यथासंभव PFMS के माध्यम से क्रय के पश्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को धान बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूंजी के रूप में एक बड़ी राशि की आवश्यकता है।

3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5370 दिनांक 22.11.2018 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2018—19 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना एवं दिशा निर्देश निर्गत किया गया है एवं अधिसूचना सं0 5270 दिनांक 08.11.2018 के अनुसार धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.11.2018 से 31.03.2019 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 15.11.2018 से 31.07.2019 तक प्रभावी रहेगा।

4. खरीफ विपणन मौसम 2018—19 अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2018—19 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण — 1750/—रू0 प्रति क्वीं0 निर्धारित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्साहवर्द्धक वृद्धि की गयी है। ऐसी स्थिति में निगम के पास अपनी वित्तीय स्रोत से राशि उपलब्ध नही होने की स्थिति में विभिन्न बैंको से ऋण प्राप्त किये जाने की बाध्यता है, ताकि सुगमतापूर्वक अधिप्राप्ति व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा सके।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2018—19 में क्रियाशील पूँजी की व्यवस्था हेतु वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 03.12.2018 को सर्कुलर के माध्यम से निगम निदेशक

पर्षद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है एवं औपचारिक सहमति प्राप्त करते हुए विभिन्न व्यावसायिक बैंको से खरीफ विपणन मौसम, 2018–19 के लिए ऋण का प्रस्ताव दिया गया है।

6. निगम निदेशक पर्षद की अनुमति के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के लिए धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु क्रियाशील पूँजी के रूप में निम्नांकित छः बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर कुल 2,500 (दो हजार पॉच सौ) करोड़ रूपये ऋण हेतु सरकार की बैंक गारंटी प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	बैंक का नाम	ऋण राशि (करोड़ में)	ब्याज दर (वार्षिक)	ऋण राशि (करोड़ में)	ब्याज दर (त्रैमासिक)
1	पंजाब नेशनल बैंक	300	8.50	200	8.25
2	इलाहाबाद बैंक	300	8.55	300	8.35
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	300	8.65	300	8.30
4	बैंक ऑफ इंडियॉ	300	8.65	200	8.40
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	100	8.65	XX	XX
6	केनरा बैंक	XX	XX	200	8.40

7. खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दिया जाने वाला कुल 2,500 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राशि मात्र विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कार्यक्रम वर्ष 2018–19 के लिए ही मान्य होगा एवं अदायगी वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त राशि को संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी 31.03.2020 तक ही प्रभावी होगा।

8. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2018–19 हेतु स्वीकृत गारन्टी पर नियमानुसार गारन्टी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

9. खरीफ विपणन मौसम 2018–19 हेतु विभिन्न व्यावसायिक बैंको से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण की राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संघारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संघारित किया जायेगा।

10. खरीफ विपणन मौसम 2018 –19 के अन्तर्गत राज्य में धान/ सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (माह नवम्बर, 2018 से माह जुलाई, 2019) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में कंडिका 06 में अंकित कुल 06 विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रूपये (दो हजार पॉच सौ करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

14/11/2019

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

C:\Users\eeee\Desktop\2500 crore Rs. credit procurement.docx

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित निर्णय के यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 07.01.2019 में मद संख्या–05** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–09/2018–245 खाद्य, पटना/दिनांक–15-01-19
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

14/1/2019
सरकार के सचिव ।

C:\Users\eeee\Desktop\2500 crore Rs. credit procurement.docx